प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

द्वितीय अपील सं 426/2014

निर्णय सुरक्षित किया गया : 28.08.2025

निर्णय पारित किया गया : 08.12.2025

भगवत पिता भुलऊ उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी ग्राम भैसो, थाना और ताह. पामगढ़, जिला. जांजगीर–चांपा सी.जी., छत्तीसगढ़

...... अपीलार्थी

बनाम

1. नर्मदा बाई पिता भुलाउ थवैत उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी गीतांजलि नगर, कश्यप कॉलोनी, वार्ड नंबर 25, गली नंबर 4, बिलासपुर, तह. और जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2. झरोखा पिता झाडूराम मरार निवासी ग्राम–भैसो, थाना और ताह. पामगढ़, जिला जांजगीर–चांपा छ.ग.

3. दामोदर प्रसाद शर्मापिता दिनदयाल शर्मा उम्र लगभग 71 वर्ष निवासी ग्राम भैसो, थाना और ताह. पामगढ़, जिला.जांजगीर–चांपा , जिलाःजांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

4. छत्तीसगढ़ राज्य,–कलेक्टर के द्वारा, जांजगीर–चांपा, जिलाजांजगीर–चांपा सी. जी., जिलाःजांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

------ उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :		श्री एच. वी. शर्मा, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 1 हेतु		श्री आनंद शुक्ला, अधिवक्ता की ओर से श्री पार्थ श्रीवास्तव,अधिवक्ता
राज्य हेतु :		श्री टी. एन. नंदे, पैनल अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 2 हेतु :		अधिवक्ता श्री घनश्याम पटेल की ओर से श्री शाश्वत येचुरी,अधिवक्ता

मान्नीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास , न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

1. यह प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सी.पी.सी. की धारा 100 के तहत प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जांजगीर द्वारा सिविल अपील संख्या 86–ए/2010 में दिनांक 14.10.2014 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध दायर की गई दूसरी अपील है, जो व्यवहार न्यायाधीश,वर्ग–द्वितीय, पामगढ़, जिला जांजगीर चंपा द्वारा सिविल वाद संख्या 166–ए/2007 में दिनांक 28.10.2010 को पारित निर्णय और डिक्री से उत्पन्न हुई है, जिसके द्वारा विद्वान जिला न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को पलटते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर वादी नर्मदा बाई को वाद भूमि में आधे हिस्से तक स्वामित्व घोषित किया है

2. सुविधा के लिए, आगे के पक्षों को विचारण न्यायालय के समक्ष दीवानी वाद संख्या 166–ए/2007 में दर्शाई गई उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।

3. अपील को 05.10.2015 को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधिगत प्रश्नों पर स्वीकार किया गया: ––

(i) क्या वादी को वाद भूमि के आधे हिस्से की घोषणा के संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय विकृत है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. अभिलेख से प्राप्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी ने ग्राम भैसो, पटवारी हल्का संख्या 4, राजस्व सर्किल और तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर चंपा में स्थित वाद भूमि (जिसे आगे वाद भूमि कहा गया है) के खसरा संख्या 722, 833/1, 1160, 1451/1, 451/2, 1451/2 और 1494 वाली कुल 5.73 एकड़ भूमि के आधे हिस्से के लिए स्वामित्व की घोषणा और विभाजन हेतु वाद दायर किया है। वादी का मुख्य तर्क यह है कि: –

क) वाद भूमि वादी साधुराम के दादा के नाम पर वर्ष 1954–55 में दर्ज थी और वे उस भूमि पर खेती करते थे। साधुराम की मृत्यु के बाद, वाद भूमि उनके वैधानिक वारिसों के नाम पर दर्ज हो गई।वाद में परिवार की वंशावली का उल्लेख है, जिसके अनुसार स्वर्गीय साधुराम के दो पुत्र थे, जिनका नाम राम और भुलाऊ था। उनमें से राम की पत्नी फूलकुंवर थीं और उनकी पुत्री नर्मदाबाई हैं, जो विचारण न्यायालय में वादी हैं।वादी का यह भी कहना है कि हरिराम की कोई संतान नहीं थी और भुलाऊ का केवल एक पुत्र है, जिसका नाम भगवत/प्रतिवादी संख्या 1 है।वादी का यह भी कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 की आयु 18 वर्ष थी, तब उसकी माता फूलकुंवर ने अपने देवर भुलाऊ से विवाह कर लिया और उसके साथ रहने लगी, इस प्रकार वादी रामा की संपत्ति की एकमात्र स्वामी बन गई

(ख) यह तर्क दिया गया है कि वाद भूमि रामा और भुलाऊ के संयुक्त नाम पर दर्ज थी और भुलाऊ की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने कपटपूर्वक वादी का नाम वादी के संयुक्त खाते में दर्ज नहीं कराया, बल्कि अधिकार अभिलेख में उसकी माता का नाम दर्ज करा दिया।यह भी तर्क दिया गया है कि विवाह के बाद वादी अपने

ससुराल रानीगांव में रहने लगी और इस दौरान वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से वाद भूमि में अपने हिस्से की मांग की।लेकिन प्रतिवादी सं 1 ने केवल आश्वासन दिया और फरवरी 2004 में यह कहते हुए वादी को विवादित भूमि में उसका हिस्सा देने से इनकार कर दिया कि वह अदालती कार्यवाही के माध्यम से बंटवारे का दावा कर सकती है।इसके परिणामस्वरूप, वादी ने राजस्व मामले संख्या ए-6/47/2003-04 में विवादित भूमि में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तहसीलदार, पामगढ़ की अदालत में आवेदन दायर किया, जिसे तहसीलदार ने वादी के नाम दर्ज कराने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है।(ग) आगे यह तर्क दिया गया है कि वाद भूमि मूल रूप से वर्ष 1954-55 में 7.25 एकड़ के रूप में दर्ज की गई थी, जिसमें से 1.52 एकड़ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पहले ही बेची जा चुकी है और वर्तमान में वहां केवल 5.73 एकड़ भूमि शेष है और इसी तथ्यात्मक आधार पर वादी ने स्वामित्व की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और कब्जे के लिए वाद दायर किया है।

5. प्रतिवादियों ने लिखित बयान दाखिल कर वाद में लगाए गए आरोपों का खंडन किया है, मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है किः --

(क) यह तर्क दिया गया है कि वादी ने अपने पिता का नाम भुलाऊ बताया है, जबकि वंशावली में उसने स्वयं को रामा की एकमात्र उत्तराधिकारी बताया है।यह भी कहा गया है कि तहसीलदार पामगढ़ ने विधि का पालन करते हुए वादी के आवेदन पर आदेश पारित किया है और वादी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। यह भी कहा गया है कि वादी ने अपने वादपत्र में रामा और भुलाऊ की मृत्यु तिथि का उल्लेख नहीं किया है, इस प्रकार वादी ने वास्तविक तथ्यों का खुलासा किए बिना आधारहीन दावा दायर किया है, जिसके कारण वह किसी भी प्रकार की राहत पाने की हकदार नहीं है।यह भी तर्क दिया गया है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को परेशान करने के लिए ही मुकदमा दायर किया है, जबकि वास्तव में वादी कभी भी वाद संपत्ति पर कब्जे में नहीं रहा। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 को परेशान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 35(क) के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाए।यह भी तर्क दिया गया है कि 31.03.2004 को कोई वाद उत्पन्न नहीं हुआ था और यदि रामा और भुलाऊ की मृत्यु की तिथि को भी ध्यान में रखा जाए, तो भी मृत्यु की तिथि से तीन वर्ष के भीतर मुकदमा दायर नहीं किया गया है, इसलिए वाद समय सीमा से बाधित है। वादी ने वाद को खारिज करने की प्रार्थना की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. पक्षकारों के निवेदन के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने पाँच विवाद्यक निर्धारित किए हैं।विवाद्यक संख्या 1 तथा 3 सुसंगत हैं, इसलिए उन्हें नीचे निकाला गया हैः-

1. क्या वादभूमि पर वादी का आधा हिस्सा है?

3. क्या दावा अवधि में है?

7. वादी ने अपने दावे को साबित करने के लिए स्वयं को पी डब्लू -1), दादुराम (पी डब्लू -2), बतियाबाई उर्फ दुखिनबाई (पी डब्लू -3), कांति बाई (पी डब्लू 4), नारायण सिंह (पी डब्लू 5) के रूप में कथन किया है और अभिलेखीय दस्तावेज (एक्स पी/ -1), संशोधित रजिस्टर (एक्स पी/ -2), संशोधित

रजिस्टर (एक्स पी/ –3), उत्परिवर्तन रजिस्टर (एक्स पी/ –4), विक्रय विलेख (एक्स पी/ –5), दिनांक 31.03.2004 का आदेश (एक्स पी/ –6), विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र (एक्स पी/ –7), किस्तबंदी खातूनी (एक्स पी/ –8) और खसरा (एक्स पी/ –9) प्रस्तुत किए हैं।प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने दावे को साबित करने के लिए स्वयं को (डी. डब्ल्यू–1) रामलाल और भूपत के रूप में कथन किया है और कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

8. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 28.10.2010 के निर्णय और डिक्री के माध्यम से वादी द्वारा दायर वाद को खारिज कर दिया है और विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि वादी यह साबित करने में असमर्थ है कि वह राम की पुत्री है और न ही राम की उत्तराधिकारी साबित करने में असमर्थ है और तदनुसार विवाद्यक संख्या 1 का उत्तर दिया है।जहां तक विवाद्यक संख्या 2 का संबंध है, यह दर्ज किया गया है कि वादी ने विक्रय विलेख प्रस्तुत किया है जो 50 एकड़ से संबंधित है,इसलिए यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 1.52 एकड़ तक की संपत्ति बेची है और विवाद्यक संख्या 2 का उत्तर भी वादी के विरुद्ध दिया है।विद्वत विचारण न्यायालय ने विवाद्यक सं 3 पर निर्णय सुनाते हुए यह पाया कि वाद समय सीमा के भीतर है और विवाद्यक सं 4 के संबंध में यह पाया कि वाद का उचित मूल्यांकन किया गया है।चूंकि पहले और विवाद्यक सं 2 का जवाब वादी के खिलाफ दिया जा चुका है, इसलिए वाद खारिज कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. निर्णय और डिक्री से असंतुष्ट होकर, वादी ने धारा 96 सी.पी.सी. के तहत जांजगीर चंपा के माननीय जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रथम अपील दायर की, जिन्होंने दिनांक 14.10.2014 के अपने निर्णय और डिक्री द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का खंडन नहीं किया है कि वादी रामा की पुत्री है। वादी ने यह भी पाया कि वादी ने विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि वादी का जन्म फूलकुंवर से हुआ था और फूलकुंवर पहले रामा की पत्नी थी और बाद में वह भुलाऊ की पत्नी बनी गयी।प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि फूलकुंवर का इन दो व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध था; अतः यह माना जाता है कि वादी या तो रमा या भुलाऊ की पुत्री है, अतः वह वाद संपत्ति में आधे हिस्से की हकदार है।

10. प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 1 ने धारा 100 सीपीसी के अंतर्गत द्वितीय अपील दायर की है, जिसे इस न्यायालय ने 05.10.2015 को स्वीकार कर लिया है।

11. अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया कि साक्ष्य और वाद के कथनों में असंगति है और वादी ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि वह राम की पुत्री होने के नाते उनकी उत्तराधिकारी है।उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि उत्तराधिकार का दावा करने के लिए उत्तराधिकार प्रक्रिया शुरू होने की तिथि सुसंगत होता है, इसलिए वादी का यह दायित्व है कि वह यह सिद्ध करे

कि उसके पिता का निधन कब हुआ था।वादी के पिता के निधन की तिथि के संबंध में कोई भी कथन या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि 1956 से पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, इसलिए 2005 के संशोधन के बाद भी वादी वाद संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार नहीं है।इस प्रकार, माननीय अपीलीय न्यायालय ने वादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करने में अवैधता की है और वे प्रार्थना करते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जाए।अपने निवेदन को पुष्ट करने के लिए, **वे मद्रास उच्च न्यायालय के मल्लिका (मृत) बनाम एस. शनमुगम और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हैं, जो ए.एस. संख्या 6969/2017 में दिनांक 13.11.2024 को प्रकाशित हुआ था, और बालक राम (मृत) बनाम रौखी और अन्य के मामले में एस.ए. संख्या 496/1997 में दिनांक 15.01.2016 को दिए गए निर्णय का भी उल्लेख करते है । वे प्रार्थना करते हैं कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को रद्द करते हुए अपील को स्वीकार किया जाए।**

12. दूसरी ओर, प्रतिवादी/वादी के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर यह माना है कि वादी फूलकुंवर की पुत्री है और यह निर्विवाद तथ्य है कि फूलकुंवर का पहला विवाह राम से हुआ था और राम की मृत्यु के बाद उनके भाई भुलाऊ से हुआ था। न्यायालय ने यह भी पाया कि चाहे वादी राम की पुत्री हो या भुलाऊ की, वह वाद संपत्ति में आधे हिस्से की हकदार है। यह निष्कर्ष साक्ष्यों के मूल्यांकन पर आधारित है और प्रतिवादी द्वारा इस तथ्य को नकारने के लिए कोई और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः यह निर्णय वैध, न्यायसंगत है और इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन के बाद पुत्री, पुत्र के समान ही सहदायिक संपत्ति में समान अधिकारों और दायित्वों के साथ स्वयं सहदायिक बन गई है।यह विवाद्यक अब कोई नया नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 (9) एससीसी 1** के मामले में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के प्रभाव पर विचार किया है और यह माना है कि पुत्री सहदायिक संपत्ति में पुत्र के समान ही हिस्सा पाने की हकदार है। अतः उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध विधि के मूल प्रश्न का उत्तर देकर अपील को खारिज करने का अनुरोध किया।

13. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और विचारण न्यायालय के अभिलेखों का पूर्ण संतोष के साथ अध्ययन किया।

विधिक प्रश्न पर निर्णय एवं चर्चा: --

14. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक के महत्वपूर्ण प्रश्न और इस तर्क को समझने के लिए कि वादी यह स्थापित नहीं कर पाया है कि सहदायिक संपत्ति में उत्तराधिकार कब से खुला है, क्योंकि प्राचीन हिंदू कानून में पुत्री को सहदायिक संपत्ति विरासत में देने का प्रावधान नहीं है।इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह लिखित बयान का अध्ययन करे, जिसे न्यायालय ने ऊपर उद्धृत किया है, और उस बयान के अवलोकन से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष या

प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रतिपरीक्षा करके यह अभिवचन प्रस्तुत किया हैप्रतिवादी संख्या 1 ने अपने लिखित बयान में बचाव में कहा है कि वादी के पिता का नाम स्पष्ट नहीं है और साक्ष्य में भी ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि रामा या भुलाऊ की मृत्यु कब हुई थी। अपीलकर्ता ने प्रतिवाद के माध्यम से वह तर्क उठाने का आशय किया है जो न तो विचारण न्यायालय के समक्ष और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठाई गई है। यह विधिक रूप से स्थापित स्थिति के तहत अनुमेय नहीं है कि जब तक कोई तर्क विचारण न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई जाती है, तब तक अपीलकर्ता दूसरी अपील में कोई नई तर्क नहीं उठा सकता है।यह विधि की एक स्थापित स्थिति है कि भले ही यह तर्क विचारण न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय अदालत के समक्ष न उठाई गई हो, फिर भी यदि यह विधिक विवाद्यक है तो इसे दूसरी अपील में इस न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है।ये तर्क खारिज किए जाने योग्य हैं क्योंकि बिना किसी आधारभूत तर्क के कोई विधिक तर्क मान्य नहीं हो सकती और धारा 100(5) सीपीसी के अनुसार विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अतः यह तर्क कि वादी यह साबित करने में असमर्थ है कि उत्तराधिकार विधि कब लागू होता है, भ्रामक है और खारिज किए जाने योग्य है।तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **क्षितिश चंद्र पुरकैत बनाम संतोष कुमार पुरकैत और अन्य के मामले में, जो 1997 (5) एससीसी 438** में प्रकाशित है,इस बात की परीक्षा की है कि दूसरी अपील में नई दलील कब उठाई जा सकती है तथा निम्नानुसार अभिनिर्धारित की गई हैः --

10. हम केवल इतना ही जोड़ना चाहते है कि (क) उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामले में निहित विधि के मूल प्रश्न को प्रारंभिक चरण में ही स्पष्ट करे; और (ख) (अपवाद) मामलों में, बाद में, जब न्यायालय धारा 100 सी.पी.सी. की उपधारा (5) के परंतुक के तहत विधि के मूल प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, तो विपक्षी पक्ष को इसकी सूचना दी जानी चाहिए और उसे इस बिंदु पर अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।अपील में निहित विधिक प्रश्न को स्पष्ट किए बिना अपील की सुनवाई करना अवैध है और न्यायालय पर सौंपे गए कर्तव्य का उल्लंघन है। विधिक प्रश्न स्पष्ट हो जाने के बाद भी यदि विपक्षी पक्ष को उचित अवसर नहीं दिया जाता है, तो यह प्राकृतिक न्याय से वंचित करने के समान है।उच्च न्यायालय को धारा 100 सी.पी.सी. के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उपरोक्त मापदंडों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए।हमें खेद है कि कई मामलों में उपरोक्त पहलुओं को शायद ही कभी ध्यान में रखा जाता है और उपरोक्त नियमों का पालन किए बिना ही द्वितीय अपील स्वीकार कर ली जाती हैं और/या उनका निराकरण कर दिया जाता है।

11. धारा 100 सी.पी.सी. के अर्थ में "विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न" क्या है, यह निर्धारित करने के लिए दिशा-निर्देश इस न्यायालय द्वारा संविधान पीठ के निर्णय में **सर चुनीलाल वी. मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड [[ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1314 = (1962) सप। (3) एससीआर 549]** में दिए गए हैं।इस न्यायालय का एक बाद का निर्णय **महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड बनाम**

यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 798) में भी है।इस पहलू पर विस्तार से चर्चा करना अनावश्यक है।

12. उपरोक्त विधिक स्थिति के आलोक में, हमारा मत है कि उच्च न्यायालय ने नए निवेदन पर विचार करके और परिणामस्वरूप द्वितीय अपील को स्वीकार करके अवैध और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया है।उच्च न्यायालय के अनुसार भी, अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया विवाद्यक केवल एक "विधिक निवेदन" था, यद्यपि इस संबंध में कोई विशिष्ट निवेदन नहीं किया गया था और न ही कोई स्पष्ट विवाद्यक निर्धारित किया गया था।उच्च न्यायालय यह ध्यान में रखने में विफल रहा कि द्वितीय अपील में कानून के प्रत्येक प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।नए विधिक निवेदन को उठाने की अनुमति देने के मापदंड धारा 100 सी.पी.सी. की उपधारा (5) में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। प्रावधान के अनुसार, न्यायालय को यह "संतुष्ट" होना चाहिए कि मामला केवल "कानूनी प्रश्न" नहीं बल्कि "कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न" है। न्यायालय द्वारा विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाने की अनुमति देने का कारण दर्ज किया जाना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त का अनुपालन करने पर, विपक्षी पक्ष को उसका उत्तर देने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।यह कोई विधिक तर्क नहीं है जिसे द्वितीय अपील के चरण में उठाया जा सके। यह विधि का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए।याचिका दायर करने की अनुमति देने के कारणों को भी दर्ज किया जाना चाहिए।इसके बाद, विपक्षी पक्ष को इसका उचित या उपयुक्त जवाब देने का अवसर दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर उद्धृत निर्णय के अंशों से स्पष्ट है, उच्च न्यायालय ने धारा 100 सी.पी.सी. के अनिवार्य प्रावधानों की पूरी तरह से अनदेखी की है। उच्च न्यायालय ने नई याचिका पर विचार किया और धारा 100 सी.पी.सी. के अनिवार्य प्रावधान का पालन किए बिना अपना निर्णय सुनाया। इस संक्षिप्त आधार पर हमारा मत है कि उच्च न्यायालय का 30 नवंबर, 1982 का निर्णय और आदेश अवैध और क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसलिए यह मान्य योग्य नहीं है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत अभिवचन साक्ष्यों के विपरीत हैं, यह अभिवचन भी खारिज कर दी जानी चाहिए क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि वादी के पिता, राम या भुलाऊ, की मृत्यु 1956 से पहले हुई थी। इस प्रकार उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है क्योंकि यह सर्वविदित विधिक स्थिति है कि जो व्यक्ति तथ्यों का दावा करता है, उसे ही उन्हें साबित करना होता है, क्योंकि सबूत का भार उसी पर होता है, जिसे साबित करने में वह बुरी तरह विफल रहा है।माननीयसर्वोच्च न्यायालय ने चौदम्मा (मृत) कानूनी प्रतिनिधि बनाम वेंकटप्पा**(मृत) विधिक प्रतिनिधियों के मामले में, जिसका रिकॉर्ड 2025 आई. एन. एस. सी. 1038 में प्रकाशित हुआ है,जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः --**

41. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि तथ्य को साबित करने का भार उस पक्ष पर होता है जो तथ्य को प्रस्तुत करता है।वर्तमान प्रकरण में, वादी पक्ष ने सकारात्मक रूप से यह दावा किया है कि मृतक दासबोवी का उनकी मां के साथ वैध वैवाहिक संबंध था।यह दावा पी. डब्ल्यू. 2 (हनुमंथप्पा) की मौखिक कथन, मृतक दासबोवी के

नियमित रूप से वादी के निवास पर आने-जाने के आचरण और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से किसी भी विपरीत सामग्री की अनुपस्थिति से समर्थित है।

42. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि वादी ने अपने ऊपर डाले गए साक्ष्य के भार को पूरा कर लिया है।उन्होंने पर्याप्त रूप से यह साबित कर दिया है कि मृतक दासबोवी अपनी माता भीमक्का उर्फ सत्यक्का के साथ पति-पत्नी के रूप में रहते थे।सबूत का भार और प्रमाण का दायित्व।43. इस न्यायालय ने अनिल ऋषि बनाम गुरबख्श सिंह (2006) 5 एससीसी 558 में यह टिप्पणी की:

"19. मामले का एक और पहलू है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।प्रमाण का भार और प्रमाण का दायित्व में अंतर होता है।वाद शुरू करने का अधिकार प्रमाण के दायित्व के अधीन होता है।किसी प्रकरण के प्रारंभिक चरण में इसका महत्व बढ़ जाता है।प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व उस स्थिति में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब यह निर्धारित करना होगा कि कौन सा पक्ष पहले कार्यवाही शुरू करेगा।सबूत का भार तीन तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है:

(i) किसी प्रस्ताव के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के कर्तव्य को दर्शाने के लिए, चाहे शुरुआत में हो या बादमें; (ii) किसी प्रस्ताव को सभी प्रति-साक्ष्यों के विरुद्ध स्थापित करने के लिए; और (iii) एक व्यापक प्रयोग जिसमें इसका अर्थ उपरोक्त दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकता है। धारा 101 में दिया गया मूलभूत नियम अपरिवर्तनीय है।धारा 102 के अनुसार, प्रारंभिक दायित्व हमेशा वादी पर होता है और यदि वह इस दायित्व को पूरा करता है और ऐसा प्रकरण साबित करता है जो उसे अनुतोष का हकदार बनाता है, तो दायित्व प्रतिवादी पर आ जाता है कि वह उन परिस्थितियों को साबित करे, यदि कोई हों, जो वादी को अनुतोष से वंचित करती हैं।"

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

44. इसके अलावा, अड्डागड़ा राघवम्मा और अन्य बनाम अड्डागड़ा चेंचम्मा और अन्य, 1963 एससीसी ऑनलाइन एससी 37 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: "12. ... सबूत के भार और सबूत के दायित्व में एक महत्वपूर्ण अंतर है:सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसे किसी तथ्य को साबित करना होता है और यह कभी नहीं बदलता है, लेकिन सबूत का दायित्व बदलता रहता है।...ऐसे विचार, किसी विशेष मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सबूत के दायित्व को बदल सकते हैं।"साक्ष्य के मूल्यांकन में इस प्रकार दायित्व का स्थानांतरण एक सतत प्रक्रिया है।**..." 7 (2006) 5 एससीसी 558 8 1963 एससीसी ऑनलाइन एससी 37.**

45. जैसा कि देखा गया है कि वादी विवाह के तथ्य के संबंध में अपने सबूत का भार सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं, अब इसे खंडन करने का दायित्व प्रतिवादियों पर आ गया है।

46. प्रतिवादियों ने मृतक दासबोवी और वादी की माता के बीच विवाह से इनकार करने के अलावा, उक्त विवाह की विधि वैधता को चुनौती देने के लिए कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।यह तर्क कि

वादी की माता मृतक दासबोवी की जाति से संबंधित नहीं थीं, पूरी तरह से प्रमाण या सामग्री से रहित है। इसी के अभाव में, उक्त दावा मात्र अटकल बनकर रह जाता है।

17. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि वंशावली के अनुसार वादी या तो रामा या भुलाऊ की पुत्री है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 ने खंडन नहीं किया है। न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि पुत्री होने के नाते वादी वाद संपत्ति में आधा हिस्सा पाने की हकदार है। विचारण न्यायालय ने वादी के विरुद्ध प्रथम मुद्दे के संबंध में निर्णय न देकर अवैधता की है, जो कि विकृत और साक्ष्य के विपरीत है। अतः निचली अदालत ने निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को अपास्त कर दिया गया है।यह सर्वविदित विधि मान्यता है कि द्वितीय अपील में क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, तथ्यों के निष्कर्षों में त्रुटि होने पर भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, चाहे त्रुटि कितनी भी गंभीर या अक्षम्य क्यों न हो।तथ्यों के निष्कर्षों में दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित निष्कर्ष भी शामिल होंगे।द्वितीय अपील में हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार केवल तभी लागू होता है जब कानून या प्रक्रिया में त्रुटि हो, न कि केवल तथ्य संबंधी त्रुटि।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दामोदर लाल बनाम सोहन देवी (2016) 3 एससीसी 78, पकीरप्पा राय बनाम सीताम्मा हेंगसु (2001) 9 एससीसी 521, रणधीर कौर बनाम पृथ्वी पाल सिंह (2019) 17 एससीसी 71 और गुरदेव कौर बनाम काकी (2007) 1 एससीसी 546 78** के मामलों में द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के इस दायरे की परीक्षा की गयी है।उपरोक्त विधिक सिद्धांत के तहत यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि इस न्यायालय को लगता है कि कोई दूसरा दृष्टिकोण बेहतर होगा।तदनुसार,अपीलकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर द्वितीय अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का मुख्य प्रश्न प्रतिवादी संख्या 1/अपीलकर्ता के विरुद्ध और वादी के पक्ष में दिया गया है।इस पर कोई वाद व्यय देय का कोई आदेश नहीं किया जाता है।

18. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2015 को पारित अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है।

19. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही/–
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur